न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द्र सिंह , आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 353/2025 राजस्व वाद

अनवान

01— राजेन्द्र कुमार पिता रूपलाल सालवी निवासी रामपुरिया तहसील करेडा जिला भीलवाडा। **प्रार्थी—**

बनाम

01— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा। **—विपक्षी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :—

1. प्रार्थी स्वयं
2. पेरोकार सरकार

—विपक्षी संख्या 01

:: निर्णय :: दिनांक— 18/08/2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का नारेली तहसील करेडा जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 334 रकबा 4.16 वीघा भूमि रा.उ.प्रा.वि. रामपुरिया के खेल मैदान के लिए श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश कमांक एफ 24—3()पंचा/2020/45635 दिनांक 01.10.2020 के अनुसार राजस्व नक्शे में यथा स्थान (वक्त आवंटन सिपुर्दगीनामा नक्शा ट्रेस अनुसार) तरमीम दुरस्ती की कार्यवाही करवाने की कृपा करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार करेडा को जवाब प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय के पत्रांक राजस्व/परिवाद/2025/162 दिनांक 21.02.2025 से लिखा जाने पर तहसीलदार करेडा द्वारा अपने पत्र कमांक/भू.अ./2025/1054 दिनांक 01.07.2025 से अवगत करवाया कि संयुक्त जॉच रिर्पोट भू.अभिलेख निरीक्षक ज्ञानगढ एवं पटवारी हल्का नारेली अनुसार ग्राम रामपुरिया के आराजी नमबर 334 रकबा 55 बीघा मे से रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा भूमि रा.उ.प्रा.वि. रामपुरिया के नाम खेल मैदान हेतु आवंटित हुई थी। पटवारी नक्शा लट्‌ठा एवं DILRMP योजना के तहत रेकार्ड नवीनीकरण में संधारित नक्शे में खेल मैदान की भूमि आराजी नम्बर 873/334 रकबा 1.2141 हैक्टयर अर्थात 04 बिघा 16 बिस्वा भूमि ग्राम रामपुरिया से किडिमाल सडक के दाहिनी तरफ स्थित है, जिसे नक्शे में लाल सही की तरमीम से दर्शाया गया है, जो खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 2710/316 के लगती हुई है। तथा वक्त आवंटन सिपुर्दगीनामा के ट्रेस नक्शानुसार पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नक्शा शीट में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुरिया के खेल मैदान की तरमीम में अन्तर है। सिपुर्दगीनामा में अंकित तरमीम के बजाय आराजी नम्बर 334 में ही अन्यत्र जगह कर रखी है एवं ग्राम रामपुरिया से ग्राम किडिमाल डामरीकरण सड़क को वर्तमान मौके अनुसार दर्ज करने राजकिय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुरिया के खेल मैदान के तरमीम की जाने की स्पष्ट अनुशंषा तहसीलदार करेडा द्वारा अपने पत्र में कि गयी है।तत्पश्चात दोराने न्यायालय उपस्थित प्रार्थी को सूना गया प्रार्थी ने वक्त बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया ओर अन्त में कथन किया कि मौजा ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का नारेली तहसील करेडा जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 334 रकवा 4.16 वीघा भूमि रा.उ.मा.वि. रामपुरिया के खेल मैदान के लिए आवंटन हुई राजस्व नक्शे में यथा स्थान (वक्त आवंटन सिपुर्दगीनामा नक्शा ट्रेस अनुसार) मौके पर तरमीम नही होकर उसी आराजी में अन्य जगह पर नक्शे में तरमीम की गई जिससे दुरस्त करा वक्त आवंटन सिपुर्दगीनामा नक्शा ट्रेस अनुसार मौके पर तरमीम करावे। रिर्पोट पटवारी हल्का नारेली भू.अ.नि. ज्ञानगढ मय अनुशंषा तहसीलदार करेडा अनुसार पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुरिया के खसरा संख्या 334 में वक्त आवंटन सिपुर्दगीनामा नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किया जाना उचित प्रतित होता है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।अत एवं

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा

◄ आदेश ►

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का नारेली तहसील करेडा के आराजी नम्बर 334 रकबा 55 बीघा मे से आवंटन रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा (1.2141 हैक्टयर) भूमि तत्पश्चात आंवटन सुपुर्दगीनामा से नवीन बटे नम्बर 873/334 कायम हुऐ जिसे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुरिया खेल मैदान के नाम राजस्व जमाबन्दी मे दर्ज रकबे को राजस्व नक्शे मे तरमीम आवंटन सिपुर्दगीनामा कब्जा नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही प्रकरण मे तहसीलदार करेडा की रिपोर्ट सलग्न नक्शे अनुसार आराजी नम्बर 334 बाद आवंटन शेष रकबे का अमल– दरामद राजस्व रिकोर्ड मे सलग्न रिपोर्ट अनुसार किया जावे प्रकरण मे तहसीलदार करेडा द्वारा प्राप्त रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार करेडा द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित नजरी नक्शे एंव निर्णय की प्रति पालनार्थ राजस्व रेकार्ड में अमल–दरामद हेतु तहसीलदार करेडा को तहरीर जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.08..2025 को लिखाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द सिंह , आर.ए.एस
मुकदमा नम्बर :— 353 / 2025 राजस्व प्रार्थना पत्र

दिनांक 18.07.2025

::आदेश::

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थनापत्र ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का नारेली भू अभिलेख निरीक्षक ज्ञानगढ मे तहसीलदार करेडा की अनुशंषा एवं प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण मे ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का नारेली तहसील करेडा जिला भीलवाडा मे खसरा सख्या 334 मे राजकीय उच्च प्राथमिक विघालय की तरमीम वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :—

क. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्व)	आदेश (शुद्व प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जानी है
1	2	3	4	5
1.	रामपुरिया	खसरा सख्या 334	खसरा सख्या 334 मे राजकीय उच्च प्राथमिक विघालय की तरमीम शुद्व करवाने बाबत।	तहसीलदार करेडा से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं की गई अनुशंषा के आधार पर राजकीयउच्चप्राथमिक विघालय रामपुरिया के खसरा सख्या 334 मे तरमीम शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार करेडा से प्राप्त रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय का भाग रहेगा एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद जावे

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

क्रमांक / न्यायालय / 2025 / 353 दिनांक— 18.07..2025

प्रतिलिपी —

01. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये
02. प्रार्थी संस्थाप्रधान राजकीय उच्च प्राथमिक विघालय रामपुरिया को सुचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा